



पत्रांक : 5596 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / प्रशा० / स्था० / सहा०अभि० / 2025-26 दिनांक : 27-10-2025

कार्यालय ज्ञाप

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के निदेशक मण्डल की 177वी बैठक के मद संख्या 177 (09) में प्रस्तुत कार्यात्मक प्रशासनिक संरचना एवं प्रक्रिया सरलीकरण से सम्बन्धित प्रस्तावों को प०वि०वि०नि०लि० के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र, गाजियाबाद-प्रथम में लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने पर निगमीय ज्ञाप सं०: 5476 / प०वि०वि०नि०लि० / मेरठ / प्रशा० / पुनर्गठन दिनांक 16.10.2025 एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम के कार्यालय ज्ञाप सं०: 3284 / मु०अ० / गा०बाद क्षेत्र / गा० / वा० दिनांक 25.10.2025 के माध्यम से दिनांक 01.11.2025 से उपरोक्त व्यवस्था को विद्युत वितरण क्षेत्र, गाजियाबाद-प्रथम में प्रभावी किये जाने के दृष्टिगत एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ताओं को निगम कार्य हित में प्रभावी नवीन प्रशासनिक संरचना हेतु स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

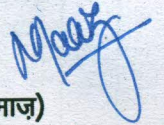
क्र० सं०	नाम (अभि०सं०) / सैप आई०डी० / गृह जनपद / सेवानिवृत्ति की तिथि	नव तैनाती का कार्यालय / स्थान
1	2	3
1	श्री रमेश चन्द्र (2015006) / 11003942 / लखनऊ / 31.01.2029	सहायक अभियन्ता-प्रथम, 33 के०वी० अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 33 के०वी०, गाजियाबाद।
2	श्री प्रमोद कुमार गौतम (2016107) / 11003107 / लखीमपुर / 30.06.2030	सहायक अभियन्ता-द्वितीय, 33 के०वी० अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 33 के०वी०, गाजियाबाद।
3	श्री मनीष कुमार सिंह (2018262) / 11001993 / मिर्जापुर / 31.01.2050	सहायक अभियन्ता-प्रथम (11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन), सिटी साईड अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 11 के०वी० एवं एल०टी० नेटवर्क, सिटी साईड, गाजियाबाद।
4	श्री अजय कुमार कश्यप (2018215) / 11005531 / बुलन्दशहर / 30.06.2046	सहायक अभियन्ता-द्वितीय (11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन), सिटी साईड अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 11 के०वी० एवं एल०टी० नेटवर्क, सिटी साईड, गाजियाबाद।
5	श्री लालमणि (2024080) / 11003251 / सन्त रविदास नगर / 31.10.2047	सहायक अभियन्ता-प्रथम (11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन), साऊथ साईड अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 11 के०वी० एवं एल०टी० नेटवर्क, साऊथ साईड, गाजियाबाद।
6	श्री अनिल कुमार चौरसिया (2021296) / 11005750 / संतकबीरनगर / 31.01.2035	सहायक अभियन्ता-द्वितीय (11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन), साऊथ साईड अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (तकनीकी), 11 के०वी० एवं एल०टी० नेटवर्क, साऊथ साईड, गाजियाबाद।
7	श्री नितिश भारद्वाज (2021086) / 11006508 / पटना / 30.09.2054	सहायक अभियन्ता-प्रथम, वाणिज्य-प्रथम (एन.एस.सी. एवं मीटरिंग) अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वाणिज्य-प्रथम (एन.एस.सी. एवं मीटरिंग) गाजियाबाद।
8	श्री आशीष कुमार पाण्डेय (2022036) / 11002470 / मिर्जापुर / 31.07.2047	सहायक अभियन्ता-द्वितीय, वाणिज्य-प्रथम (एन.एस.सी. एवं मीटरिंग) अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वाणिज्य-प्रथम (एन.एस.सी. एवं मीटरिंग) गाजियाबाद।
9	श्री नितिन कुमार (2016288) / 11003503 / मेरठ / 31.07.2048	सहायक अभियन्ता-प्रथम, वाणिज्य-द्वितीय (बिलिंग एवं रेवेन्यू) अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वाणिज्य-द्वितीय (बिलिंग एवं रेवेन्यू) गाजियाबाद।
10	श्री कमल कुन्ज दिवाकर (2024066) / 11003663 / गाजीपुर / 31.08.2049	सहायक अभियन्ता-द्वितीय, वाणिज्य-द्वितीय (बिलिंग एवं रेवेन्यू) अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वाणिज्य-द्वितीय (बिलिंग एवं रेवेन्यू) गाजियाबाद।
11	श्री ललितेश कुमार यादव (2015147) / 11004838 / बदायूँ / 30.06.2044	सहायक अभियन्ता (रेड) अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, रेड एवं मानव संसाधन, गाजियाबाद।

ईशा दुहन
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5596 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
7. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता(मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
11. अधिशासी अभियन्ता, वि०न०वि०ख०, प्रथम/तृतीय/पंचम/नवम्, गाजियाबाद/वि०न०परी०ख०-प्रथम, गाजियाबाद।
12. अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
13. उप सचिव (अ०प्र०-(२ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
15. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
16. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(माज)
अधिशासी अभियन्ता (एच०आर०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2025-26

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी० / गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री दिलीप कुमार कटियार (2016115)/11000049/ कानपुर/31.05.2026	उपखण्ड अधिकारी-प्रथम, नेहरूनगर अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-3, गाजियाबाद।	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियन्त्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

ईशा दुहन
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5597 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 27-10-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
- अधीक्षण अभियन्ता(मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-3, गाजियाबाद।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(माज़)

अधिशाली अभियन्ता (एच०आर०)